

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

आदेश

संख्या:-

986

दिनांक:- 11.06.15

सं0सं0- 4 तक0/औ0प्र0नीति 2011/25/2015

विषय : एम0एस0एम0ई0 एवं बृहत् प्रक्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अन्तर्गत कैपटिव पावर प्लांट/डीजल जेनरेटिंग सेट की स्थापना हेतु लोड अवधारण के लिए समिति का गठन।

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 में संशोधन से संबंधित संकल्प सं0-09, दिनांक-05.01.15 एवं संकल्प सं0-850, दिनांक-21.05.15 में दिये गये प्रावधान के अधीन वैसी इकाइयाँ, जो विद्युत कनेक्शन लिए वगैर डी0जी0 सेट/कैपटिव पावर जेनरेशन से उत्पादन करती हैं, उनके लोड अवधारण हेतु निदेशक, तकनीकी विकास द्वारा एक समिति निम्नवत् गठित की जाएगी:-

- (i) निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना द्वारा मनोनित उद्योग सेवा संवर्ग के अधिकारी(न्यूनतम ग्रेड पे रू0 7600)
- (ii) उद्योग मित्र द्वारा इम्पैनल्ड इलेक्ट्रीकल इंजीनियर (बी0ई0/बी0टेक0)
- (iii) ऊर्जा विभाग के क्षेत्रीय इलेक्ट्रीकल इंजीनियर

2. यह समिति औद्योगिक इकाई का स्थल निरीक्षण कर कैपटिव पावर प्लांट/डीजल जेनरेटिंग सेट के लोड अवधारण से संबंधित प्रतिवेदन निदेशक, तकनीकी विकास को समर्पित करेंगे।

3. उक्त समिति औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार-2011 के प्रभावी तिथि 01.07.2011 से विद्युत कनेक्शन लिए वगैर डी0जी0 सेट/कैपटिव पावर जेनरेशन से उत्पादन करने वाली औद्योगिक इकाइयों का भी लोड अवधारण करेगी।

11/06

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-986/पटना, दिनांक : 11.06.15

सं0सं0- 4 तक0/औ0प्र0नीति 2011/25/2015

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी(सी0डी0 में) तथा दो हार्ड कॉपी के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय। साथ ही उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

11/06/2015

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-986 /पटना, दिनांक : 11.06.15

सं०सं०- 4 तक०/औ०प्रो०नीति 2011/25/2015

प्रतिलिपि : सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र इन्दिरा भवन, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त समिति हेतु एक सदस्य कृपया मनोनीत किया जाय।

11/06

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-986 /पटना, दिनांक : 11.06.15

सं०सं०- 4 तक०/औ०प्रो०नीति 2011/25/2015

प्रतिलिपि : सभी विभागाध्यक्ष/वाणिज्य-कर आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग/ प्रबंध निदेशक, उद्योग विभाग के सभी निगम/बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार/निदेशक, उद्योग/निदेशक, तकनीकी विकास/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, पटना/अध्यक्ष, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लि०, पटना/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी उप विकास आयुक्त/ महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/ स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/ निदेशक, एम.एस.एम.ई.डी.आई., पाटलीपुत्रा कॉलोनी, पटना/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/06/2015

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 986 /पटना, दिनांक- 11.06.15

सं०सं०- 4 तक०/औ०प्रो०नीति 2011/25/2015

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

11/06/2015

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।